<u>कार्यालय महानिदेषक, चिकित्सा षिक्षा एवं प्रषिक्षण, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।</u>

संख्या–एम0ई0–3/पीजी–2012/1141 लखनऊः दिनांक 14 जून, 2012

<u>यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2012 की द्वितीय काउंसिलिंग की समय सारणी</u>

यू0पी0पी0जी0एम0ई0–2012 की द्वितीय काउंसिलिंग निम्नलिखित समय सारिणी के अनुसार छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विष्वविद्यालय, लखनऊ में सम्पन्न की जायेगी–

Day and Date	Categorywise Rank Number	
	Morning Session 10.00 A.M.To 2.00 P.M.	Afternoon Session 3.00P.M. Onwards

M.D./M.S./Diploma

27.6.2012 Wednesday	ST- All eligible PH- All eligible 01 to 150 State Rank (UR,OBC, SC)	151 to 400 State Rank (UR,OBC,SC
28-6-2012 Thursday	401 to 1000 State Rank (UR,OBC,SC)	1001 to 1700 State Rank (UR,OBC,SC)
29-6-2012 Friday	1701 to All eligible (UR,OBC,SC)	

M.D.S.

29-6-2012 Friday	---	PH up to State Rank 318 1 to 142 State Rank (UR,OBC,SC)

- **UR-** सामान्य (अनारक्षित), **OBC-** अन्य पिछड़ा वर्ग, **SC-** अनुसूचित जाति, **ST-** अनुसूचित जनजाति, **PH-**विकलांग।

नोट– विकलांगता प्रमाण पत्र हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन दिनांक 15.6.2012 को सिर्फ छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विष्वविद्यालय, लखनऊ में किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।

<u>अभ्यर्थियों हेतु सामान्य निर्देष</u>

1. ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनको प्रथम काउंसिलिंग में सीट आवंटित हो चुकी है एवं सम्बन्धित कालेज/पाठ्यक्रम में निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेष प्राप्त कर लिया है तथा उपलब्ध रिक्त सीटों पर अपना विकल्प बदलना चाहते हैं, वे अभ्यर्थी **निर्धारित प्रारूप पर एन0ओ0सी0 सम्बन्धित प्रधानाचार्य से प्राप्त कर मूल रूप में** काउंसिलिंग के समय अपने साथ लायेंगे। जो अभ्यर्थी पुनरावंटन प्राप्त करेंगे उनको पूर्व की सीट से त्यागपत्र देना होगा।
2. ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम काउंसिलिंग में कोई सीट आवंटित नही हो सकी थी या अनुपस्थित थे, काउंसिलिंग में भाग ले सकते हैं।
3. यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2012 की प्रथम काउंसिलिंग से रिक्त सीट उसी श्रेणी में समायोजित की जायेगी, जिस श्रेणी/उपश्रेणी से रिक्त हुई है।
4. काउंसिलिंग शुल्क रूपये 500/–(रूपये पॉच सौ मात्र) तथा धरोहर धनराषि रूपया 10,000/– (रूपये दस हजार मात्र) है जिसे एचडी0एफ0सी0 बैंक लिमिटेड की लखनऊ की चौक, गोमती नगर, अषोक मार्ग स्थित किसी शाखा में महानिदेषक, चिकित्सा षिक्षा एवं प्रषिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के नाम से **खाता संख्या–11122320000190** में जमा करना होगा। एच0डी0एफ0सी0 बैंक अभ्यर्थियों को रूपया 10,000/–धरोहर धनराषि तथा रूपया 500/–काउंसिलिंग शुल्क की रसीद अलग अलग प्राप्त करायेगा। यह रसीद दो प्रतियों में होगी जिसमें से एक प्रति अभ्यर्थी तथा दूसरी डी0जी0एम0ई0 मार्क होगी। सभी अभ्यर्थियों को एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0की जमा रसीद जो डी0जी0एम0ई0 मार्क होगी, उसे अपने साथ काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु लाना अनिवार्य है। यह जमा रसीदें काउंसिलिंग केन्द्र पर जमा कर ली जायेगी। काउंसिलिंग शुल्क रूपया 500/– वापस नहीं होगा, परन्तु धरोहर धनराषि रू0 10,000/–एच0डी0एफ0सी0 बैंक रसीद आवंटित आवंटित पाठ्यक्रम में **प्रवेष लेने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 30 जून, 2012 से 30 अक्टूबर, 2012 के मध्य प्रवेष लेने के पुष्ट प्रमाण पत्र तथा रसीद की स्टूडेन्ट कापी महानिदेषालय में प्रस्तुत करने पर धरोहर धनराषि रूपया 10,000/– एच0डी0एफ0सी0 बैंक रसीद मूलरूप में वापस कर दी जायेगी, जिसे एच0डी0एफ0सी0 बैंक की सम्बन्धित शाखा में जमा कर धरोहर धनराषि रूपया 10,000/–वापस किया जा सकेगा।** इसके लिए बैंक को कोई शुल्क देय नही होगा। जो अभ्यर्थी आवंटन प्राप्त करने के पष्चात् प्रवेष नही लेगें उनकी धरोहर धनराषि जब्त हो जायेगी। काउंसिलिंग में भाग लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें कोई आवंटन प्राप्त नहीं होता है, काउंसिलिंग केन्द्र से अपनी रूपया 10,000/–एच0डी0एफ0सी0 बैंक की जमा रसीद (डी0जी0एम0ई0 कापी) उसी दिन अथवा एक सप्ताह के भीतर महानिदेषालय (जवाहर भवन) से प्राप्त कर कर लें तथा अभ्यर्थी की प्रति तथा डी0जी0एम0ई0ई0 प्रति एच0डी0एफ0सी0 बैंक की सम्बन्धित शाखा में प्रस्तुत कर अपनी धरोहर धनराषि यथाषीघ्र प्राप्त कर लें। जिन अभ्यर्थियों ने प्रथम काउंसिलिंग के समय धरोहर धनराषि रू0 10,000/–की रसीद जमा की है तथा वापस नही ली है, उन्हें यह धनराषि पुनः जमा करने की आवष्यकता नहीं है। अपनी स्टूडेन्ट कापी दिखाकर काउंसिलिंग में भाग ले सकेंगे।

काउंसिलिंग के निमित्त धरोहर धनराषि एवं काउंसिलिंग फीस जमा करने की व्यवस्था काउंसिलिंग स्थल पर भी दिनांक 27.6.2012 को प्रातः 9.00 बजे से उपलब्ध रहेगी।

5. काउंसिलिंग हेतु अलग से कोई सूचना (काल लेटर) प्रेषित नही की जायेगी। प्रकाषित सूचना **चिकित्सा षिक्षा एवं प्रषिक्षण की वेबसाईट www.updgme.in** एवं सी0एस0एम0एम0यू0, लखनऊ की वेबसाइट www.csmmu.in पर उपलब्ध सूचना के आधार पर काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होना होगा।
6. श्रेणी विषेष की निर्धारित सीटें समाप्त होने पर उस श्रेणी की काउंसिलिंग समाप्त हो जायेगी।
7. प्रवेष समिति (काउंसिलिंग बोर्ड) का निर्णय प्रत्येक प्रकरण में अन्तिम व मान्य होगा।
8. पूर्व की पी0जी0एम0ई0ई0 के माध्यम से अध्ययनरत अभ्यर्थी रेजीडेन्सी योजना के प्राविधानों के अनुरूप ही अर्ह होगे।
9. काउंसिलिंग के समय विवरण पुस्तिका के पृष्ठ 13 एवं 14 पर वर्णित, सभी मूल प्रमाण पत्र सहित तथा उनकी एक–एक सत्यापित प्रतिलिपि एवं यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2012 के आवेदन पत्र पर चस्पा की गयी फोटो की 04 प्रतियॉ तथा यू0पी0पी0जी0एम0ई0ई0–2012 का प्रवेष पत्र मूलरूप में साथ लाना आवष्यक है।
10. अभ्यर्थियों को निर्धारित काउंसिलिंग केन्द्र (छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विष्वविद्यालय, लखनऊ) पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा तथा **द्वितीय काउंसिलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थी ही द्वितीय विस्तारित काउंसिलिंग (Second extended Counselling) यदि सम्पन्न होती है, के लिए अर्ह होंगे** तथा जो अभ्यर्थी आवंटित सीट पर योगदान नहीं देते हैं, वह द्वितीय विस्तारित काउंसिलिंग (Second extended Counselling) हेतु अर्ह नहीं होंगे।
11. द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित सीटें 30 जून, 2012 तक प्रवेष प्रक्रिया पूर्ण की जानी है, अतः अभ्यर्थियों को निर्देषित किया जाता है कि शासनादेष संख्या–2240/71–3–2010–328/92, दिनांक 20 अगस्त, 2010 द्वारा निर्धारित प्रवेष संबंधी शुल्क के साथ काउंसिलिंग केन्द्र पर उपस्थित होना सुनिष्चित करें ताकि काउंसिलिंग केन्द्र पर ही प्रवेष सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जा सके।

महानिदेषक